कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**12.05.2017**
बैठक सं.	**59**

दिनांक 09 फरवरी, 2017 को आयोजित 58 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक **09 फरवरी, 2017** को आयोजित 58 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	**2**
बैठक का दिनांक	**12.05.2017**
बैठक सं.	**59**

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान स्थिति
3.1.1	**22.03.2002**	**<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन (Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u>** **राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,** 1. **किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके।** 2. **राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE, शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।**	**(क) भू-अभिलेखों का डिजिटाईजेशन** – राज्य के भू राजस्व एवं भू सुधार विभाग के सचिव श्री के॰ के॰ सोन ने 58 वीं SLBC की बैठक के दौरान जानकारी दी थी कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण का कार्य कुल 264 अंचलों मे से 257 अंचलों मे पूर्ण हो चुका है इन अंचलो मे online mutation किया जा रहा हैं एवं बाकी 7 अंचलों मे कार्य प्रगति पर है	कैथी रीडर नहीं हो पाने के कारण वहाँ डिजिटिकरण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2017 में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है	श्री सोन ने यह भी बतलाया था कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण के कार्य के साथ-साथ 235 अंचल मे integration (registration एवं Mutation) का काम पूरा हो गया है	जितने भी registration हो रहे है उनको digital locker में भेजा जा रहा है जिसे user-id/password की सहायता से कभी भी देखा जा सकता है और प्रिंट निकाल कर रखा जा सकता हैं। NEC के बारे में उन्होने बताया था कि 27000 डाटा की re-entry कारवाई गयी है और NEC से संबन्धित समस्या का समाधान किया गया हैं। आज के समय मे सारे registry से संबन्धित डाटा online उपलब्ध हैं। हम संबंधित विभाग से वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी देने का आग्रह करते हैं | **(ख) सी.एन.टी एवं एस.पी.टी अधिनियम में संशोधन**- SLBC की पिछली बैठक के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग को भूमि बंधक के बदले शिक्षा ऋण, गृह ऋण एवं व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में CNT तथा SPT Act में संशोधन प्रस्ताव विधान सभा द्वारा पारित हो कर सक्षम प्राधिकारी के पास प्रेषित किया जा चुका हैं और वहा से स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार द्वारा इसको कार्यान्वित कर दिया जायेगा। |

3.1.2.	**29.09.2010**	**राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना I**	लोकमांग वसूली अधिनियम, 1914 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक विधान सभा से विधिवत पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजे गए विधेयक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुधार का निदेश दिया गया है I उक्त निदेश के अलोक में बिहार और ओडिशा लोकमांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा -3 (3) में प्रस्तावित संशोधन झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित कर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति हेतु राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची के माध्यम से पुनः गृह मंत्रालय , भारत सरकार को भेजा गया है I
3.1.3.	**19.02.2002**	**राज्य में बैंक के खजाने (Currency Chest) की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था**	पिछली SLBC की बैठक में ADG- CID श्री अजय कुमार सिंह ने कहा था कि currency chest में regular police force देने के लिए assessment किया जा रहा है I अगर जिलो से मांग की जाती हैं तो जरूरत होने पर उस जिले में regular police force , currency chest की सुरक्षा के लिए दी जा सकती है I इसके लिए currency chest की पहचान की जाएगी और ज्यादा संवेदनशील जगहो पर नियमित पुलिस बल से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जिलों में बैंकों एवं police के अधिकारियों की regular मीटिंग नहीं हो पा रही है I सुरक्षा मामलों के मद्देनज़र नियमित अन्तराल पर ऐसी मीटिंग का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए I वर्तमान स्थिति की अद्यतन जानकारी अप्राप्त है I
3.1.4.	**09.05.2013**	**नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।**	पिछली SLBC की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर अवर मुख्य सचिव श्री अमित खरे ने बताया था कि इसके लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने या पंचायतों को उचित अधिकार दिये जाने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार से अद्यतन सूचना अप्राप्त I
3.1.5.	**27.05.2014**	**रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।**	इस विषय मे श्री के के सोन ने पिछली SLBC की बैठक में बताया था कि भवन निर्माण के लिए **RBI** एवं **NABARD** को जमीन आवंटित किया जा चूका है। अन्य बैंको के नियंत्रक कार्यालयो के लिए शहर मे एक ही जगह जमीन आवंटन की कोशिश की जा रही हैं। श्री के॰ के॰ सोन ने उम्मीद जताई थी की बैंक ऑफ इंडिया एवं **SLBC** की संयुक्त भवन एवं कैनरा बैंक तथा अन्य बैंक जिनके भी आवेदन प्राप्त हुये है उन्हे अगले एसएलबीसी की बैठक से पूर्व जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी I
3.1.6.	**11.05.2016**	**गुजरात के डांग जिले में आदिवासियों को Green Kisan Credit Card योजना के तहत पेड़ों पर उपलब्ध कराये जा रहे सरल micro credit स्कीम का झारखण्ड राज्य में संचालन**	इस विषय पर विशेष सचिव **,**वन विभाग श्री ए के रस्तोगी ने पिछली SLBC की बैठक में कहा था की आरबीआई तथा एसएलबीसी अपने सदस्य नामित कर दे तो समिति की बैठक करवाई जा सकेगी । उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड में कई जमीन

			का records of right वर्तमान मालिकों के पूर्वजो के नाम पर है और ownership को establish किये बिना इस प्रकार के ऋण देने मे बैंको को समस्या होगी । श्री अमित खरे ने इस पर कहा कि पहले समिति का गठन कर बैठक कर लें ताकि इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा सके| उन्होंने इस समिति मे **TWC** तथा कल्याण विभाग को भी सम्मिलित करने की सलाह दी| **SLBC** एवं **RBI** के नामितं प्रतिनिधियों की जानकारी विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग को SLBC की पिछली बैठक के उपरांत दिनांक 13.02.2017 को उपलब्ध करा दी गई थी | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को सरल micro credit scheme से संबंधित योजना की प्रति भी उनके आग्रह पर दिनांक 27.03.2017 को उपलब्ध करा दी गई थी, परंतू अभी तक समिति की बैठक नहीं हो पाई है |
3.1.7	**11.05.2016**	**SLBC की कृषि उप समिति की दिनांक: 03.05.2016 की बैठक में झारखण्ड सरकार के द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक कृषि-ऋण के लिए जाने वाले mortgage/ COLLATERAL सिक्यूरिटी के बदले राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तावित है |**	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से अध्यतन जानकारी अप्राप्त | इस विषय में निर्णय लेने के लिए विभिन्न विभागों जैसे वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, NABARD एवं बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों के साथ बैठक किया जाना है | डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, सचिव, कृषि विभाग, झारखंड सरकार ने पिछली SLBC की बैठक में कहा था कि इस मामले मे और अध्ययन की जरूरत है तथा इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों में किये जा रहे प्रावधानों पर भी विचार करने की आवश्यकता है जिसके बिना अभी कोई ठोस चर्चा संभव नहीं हैं। अतः इस मुद्दे को अगले कुछ दिनों के लिए ठन्डे बस्ते में डाल देना ही उचित होगा | साथ ही उन्होंने कहा कि झारखण्ड सरकार द्वारा कृषि ऋण में interest subvention की स्कीम लाने की प्रक्रिया चल रही है |

क्रं.स.	से लंबित	मामले	बर्तमान स्थिति
3.1.8	2013	राज्य में कुल 24 RSETI एवं एक RUDSETI का संचालन किया जा रहा है| सरकार द्वारा सभी जगहों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है | कई जगहों पर आरसेटी भवन का निर्माण कार्य जैसे- गढ़वा एवं जामतारा (local disturbance) में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ,हजारीबाग में इलाहाबाद बैंक द्वारा , रामगढ में पीएनबी द्वारा कतिपय कारणों से शुरू नही किया जा सका है , एवं कई जगहों पर कार्य प्रगति पर है |	राज्य निदेशक RSETI द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जगहों पर RSETI भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है | सभी संबंधित बैंकों से आग्रह है कि वे RSETI भवन के निर्माण कार्य में तेजी लायें और इसे अविलम्ब पूरा करने का प्रयास करें | बैंको से निवेदन है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य में आ रही किसी तरह की कठिनाई को संबंधित विभाग के संज्ञान में अविलम्ब लायें ताकि उसका निराकरण समय पर किया जा सके |
3.1.9	मई 2015	RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |	इस वित्तीय वर्ष में कुल 2855 RSETI प्रशिक्षित अभ्यर्थी को बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ | पिछले कई SLBC की बैठकों के दौरान सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से लगातार आग्रह के बावजूद मार्च 2017 में बैंकों के पास लगभग 6052 आवेदन pending दर्शाये गए हैं, जो एक गंभीर विषय है | यह आंकड़ा SLBC द्वारा State Director, RSETI के सहयोग से लिया गया है |
3.1.10	फरवरी 2017	राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण प्रवाह सहज एवं पर्याप्त नहीं है जिसका कारण मुख्यतः निम्न वित्तीय साक्षरता, अपर्याप्त बजट आवंटन एवं समय पर ऋण भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव है | अतः अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सहज एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु राज्य में अवस्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं चिन्हित किये गए जिले यथा रांची, गुमला, पाकुड और साहेबगंज के अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा आवश्यक एवं समुचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है | (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक –SLBC की 58 वीं बैठक)	SLBC द्वारा सभी संबंधित LDMs को दिनांक को मेल कर दिया गया था और उनसे इस सम्बन्ध में roadmap बनाने का आग्रह किया गया था परंतु साहिबगंज को छोडकर अन्य किसी भी LDM द्वारा वांछित सुचना उपलब्ध नहीं करायी गई है | हम पुनः बाकी 03 LDMs से इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध करते हैं |
3.1.11	फरवरी 2017	सभी बैंकों द्वारा कम से कम 30% कृषि ऋण agr. term loan के रूप में एवं सभी rural और semi urban शाखाओं द्वारा minimum एक solar pumpset दिया जाना (प्रस्तावक : NABARD–SLBC की 58 वीं बैठक)	इस आशय की सूचना सभी बैंकों को दी जा चुकी है | सभी बैंको से इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है |
3.1.12	फरवरी 2017	SHGs के लिए one time documentation एवं first dose के लिए minimum रु 1.00 लाख का प्रावधान किया जाना (प्रस्तावक:JSLPS, GoJ SLBC की 58 वीं बैठक)	इस आशय की सूचना सभी बैंकों को दी जा चुकी है | RBI के master circular के अनुसार बैंको से कार्यवाही अपेक्षित है |

कार्यसूची सं.	**3**
बैठक दिनांक	**12.05.2017**
बैठक सं.	**59**

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (KEY INDICATORS)

(Rs. in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	31.03.2016	31.12.2016	31.03.2017	Bench Mark
1	**Deposit**	151224.54	181734.26	186177.79	
2	**Credit**	70728.48	78827.49	81039.94	
3	**Credit as per place of utilization* & RIDF****	20923.84	26957.56	26141.95	
4	**Total Credit**	91652.32	105785.05	107181.89	
5	**CD Ratio (%)**	60.61%	58.21%	57.57%	60
6	**Priority Sector Advances (PSA)**	38803.93	42619.46	43650.55	
7	**Share of PSA to Total Advances (%)**	54.86%	54.07%	53.86%	40
8	**Agricultural Advances**	12858.56	13112.94	13704.11	
9	**Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)**	18.18%	16.63%	16.91%	18
10	**i.Micro & Small Enterprises Advance**	16458.93	18934.61	19753.78	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	23.27%	24.02%	24.37%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	54.61%	54.90%	55.69%	
11	**Advances to Weaker Sections**	14689.94	14862.26	15268.40	
12	**Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)**	20.76%	18.85%	18.84%	10
13	**DRI Advances**	38.66	49.66	51.15	
14	**Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)**	0.05%	0.06%	0.07%	1
15	**Advances to Women**	11736.87	11322.97	11706.69	
16	**Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)**	16.59%	14.36%	14.45%	5
17	**Advances to Minorities (Amount)**	5291.94	5580.51%	5679.66	
18	**Share of Advances to Minorities under PSA (%)**	13.63%	13.09%	13.01%	15
19	**Gross N.P.A**	4597.98	4642.51	4523.09	
	PERCENTAGE TO GROSS-CREDIT	6.50%	5.89%	5.58%	
20	**Branch Net-Work (in no.)-Rural** **Semi-Urban** **Urban** **Total**	1470 752 690 2912	1509 756 693 2958	1513 778 704 2995	
21	**ATM installed in Jharkhand**	2780	3449	3469	

*Annexure- V, ** Enclosure (page no -.8a, 8b)

As per Annexure - I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV, Annexure -XIX

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 31 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक रूपये 34953.25 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है | वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 23.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो पूर्व के समयों में लगभग 14-15% के आसपास हुआ करता था | संभवतः इसका मुख्य कारण विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकों में अप्रत्याशित रूप से जमा की गई राशि है |

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रूपये 10311.46 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 14.57 प्रतिशत दर्ज की गई है|

क्रेडिट – जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात पिछले तीन महीनों 58.21 % से घट कर, 57.57 % हो गया है | पिछले वर्ष मार्च 2016 में यह अनुपात 60.61% था | पिछले दो तिमाहियों में CD Ratio में आयी इस कमी को रोकने के लिए सभी बैंकों को अविलम्ब समुचित प्रयास करने की आवश्यकता है |

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष–दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च 2017 को रू. 4846.62 करोड़ (12.49%) की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 53.86 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 मार्च 2017 को कृषि अग्रिम रू. 13704.11 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 16.91 प्रतिशत है। पिछले तिमाही में कृषि ऋण कुल अग्रिम का 16.63 % था जिसमे मामूली वृद्धि हुई है | पिछले एक साल में कृषि ऋण में outstanding figure में कुल रू. 845.55 करोड़ की वृद्धि हुई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यह वृद्धि 6.57 % है।

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

31 मार्च, 2017 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 15268.40 करोड़ (18.84 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से काफ़ी बेहतर है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

31 मार्च, 2017 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रूपये 11706.69 करोड़ का है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 14.45 % है | पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 14.36 % था जिसमे मामूली वृद्धि हुई है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 5679.66 करोड़ है । यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 13.01% है, जो मानक 15 प्रतिशत से थोडा कम है | इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

31 मार्च, 2017 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15, **दिनांक** 01.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS		31st March, 2016	31st March, 2017	
Aggregate Deposits		151224.54	186177.79	
CORE ADVANCES	70728.48		81039.94	
As per place of Utilization	17249.69		21861.39	
RIDF	3674.15		4280.57	
NET ADVANCES	91652.32		107181.89	
ऋण-जमा अनुपात		60.61		57.57

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	12.05.2017
बैठक संख्या	59

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के तहत उपलब्धियों की समीक्षा : 31 मार्च, 2017 तक

समग्र स्थिति

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2015-16)	ACHIEVEMENT IN AFY 2015-16		ANNUAL TARGET (2016-17)	ACHIEVEMENT IN AFY 2016-17	
	AMT	AMT.	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	**7078.38**	3690.64	**52.13**	**7356.42**	3032.59	**41.22**
MSME	**6130.67**	6460.62	**105.38**	**6526.97**	7420.13	**113.68**
OPS	**3097.87**	1768.68	**57.09**	**3361.72**	1929.23	**57.38**
Total Priority	**16306.92**	11919.94	**73.10**	**17245.11**	12381.95	**71.80**
Non Priority	**10616.76**	12138.77	**114.33**	**10361.68**	9525.43	**91.92**
Total	**26923.68**	24058.71	**89.35**	**27606.79**	21907.38	**79.35**

टिप्पणियां :

- वार्षिक ऋण योजना 2016-17 में, वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की तुलना में **समग्र** ऋण के संवितरण में ह्रास हुई है। यह चिंता का विषय है। चूँकि इस नये वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट final कर दिया गया है, जो सभी जिलों के LDMs द्वारा DLCC से approve करा लिया गया है, अतः उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि शुरुआत से ही इस वर्ष शत-प्रतिशत target प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाये |
- कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2016-17 में रु 3032.59 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण हुआ है, जो कि पिछले वित्त-वर्ष के इस अवधि के दौरान किये गए संवितरण से रु. 658.05 करोड़ कम है | यह स्थिति काफी चिंताजनक है और कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का सविंतरण मियादी ऋण के रूप में सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन , मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि को अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढाया जा सके |
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विभिन्न जिलों द्वारा segment wise उपलब्धि पृष्ठ सं-12 (a) से 12 (d) में दर्शायी गई है

ANNUAL CREDIT PLAN 2017-18

- राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रवंधक कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित “Potential Linked Plan” के व्यापक रुपरेखा के आधार पर “वार्षिक ऋण योजना” तैयार की गई |
- अग्रणी जिला प्रवंधक कार्यालयों के द्वारा तैयार इन “वार्षिक ऋण योजनायों” को सभी जिलों के DLCC की बैठक में प्रस्तुत किया गया एवं DLCC के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत वार्षिक ऋण योजनाओं को जिला स्तर पर अपनाया एवं लागू किया जा रहा है |
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के द्वारा सभी जिलों से प्राप्त “वार्षिक ऋण योजनाओं” को संकलित कर राज्य की “वार्षिक ऋण योजना” बनाई गयी, जिसे दिनांक 05.05.2017 को ACP पर SLBC sub-committee की हुई बैठक में अनुमोदन करा कर सभी बैंकों एवं LDMs को उपलब्ध करा दी गई है |
- सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक ऋण योजनाओं के आधार पर राज्य के सभी बैंक एवं जिलों का “वार्षिक ऋण योजना” पृष्ठ संख्या- 13 (a)-13 (g) संलग्न है |
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप-समिति के निर्णयानुसार “वार्षिक ऋण योजना” में कृषि के sub-sector का जिलावार लक्ष्य संलग्न है |

(Amt. in Crores)

PRIORITY SECTOR ADVANCES
(Disbursement Budget)

Agriculture			MSME				Education
Crop Loan	Agri.Term Loan	Total	MICRO	SMALL	MEDIUM	TOTAL	(priority))
4608.56	3073.81	7682.37	3966.01	2149.24	1214.27	7329.51	911.38

Housing	OPS	Total Priority Sector
1799.09	1110.94	18833.29

NON-PRIORITY SECTOR ADVANCES
(Disbursement Budget)

Heavy Industries	Education	Housing	Others	Total Non-Priority Sector
638.94	524.58	878.54	6540.09	8582.15

TOTAL ADVANCES(Disbursement Budget)	27415.45

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	12.05.2017
बैठक संख्या	59

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 13704.11 करोड़ है जो सकल ऋण का 16.91 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुन: बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए |

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	बैंको की श्रेणी	Disbursement During 2016-17		Outstanding In KCC Accounts AS OF 31.03.17	
		A/C	Amt.	A/C	Amt.
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	389982	1094.68	1210378	4379.74
Pvt. Banks	निजी बैंक	9595	72.59	11069	77.13
Total	**कुल**	**399577**	**1167.27**	**1221447**	**4456.86**
RRB	आर आर बी	156609	482.83	360942	1231.97
Co-op Banks	कॉपरेटिव बैंक	1807	3.47	11599	29.59
Total	**कुल**	**557993**	**1653.57**	**1593988**	**5718.42**

- सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है। दिनांक 19.04.2017 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़े के अनुसार कुल 1216360 eligible KCC खातों में से 1111066 खातों में रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। (विवरण पृष्ठ सं-14 (a) में संलग्न है)

“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना”

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” का लोकार्पण पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था | इस योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है | झारखण्ड राज्य में भी इस योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है | झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए झारखण्ड राज्य में खरीफ की फसल के लिए नोडल बीमा कंपनी के रूप में AGRICULTURE INSURANCE CO एवं रबी की फसल के लिए ICICI Lombard और Shriram General insurance Co अनुबंधित किया गया |

1. बैंकों द्वारा SLBC को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खरीफ फसल के लिए इस योजना के तहत लगभग 1.74 लाख ऋणी किसानो का फसल बीमा किया गया |

2. बैंकों द्वारा प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रबी की फसल के लिए लगभग 0.36 लाख ऋणी किसानों का फसल बीमा कराया गया है |

बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए report के आधार पर बैंकवार एवं जिलावार स्थिति संलग्नक (पृष्ठ संख्या-15 a एवं 15 b) में दर्शायी गई है |

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)

(Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular			Outstanding position as at the end of March 2016	March 2017
(1)	(2)			(3)	(4)
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**392**	**447**
			Amount	**8989.25**	**11001.52**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	50	53
			Amount	1847.90	2120.42
	b.	Service Sector	Accounts	342	394
			Amount	7141.35	8881.10
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**84**	**96**
			Amount	**7469.67**	**8752.27**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	24	24
			Amount	3042.26	2997.27
	b.	Service Sector	Accounts	60	72
			Amount	4427.41	5755.00
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**476**	**543**
			Amount	**16458.92**	**19753.79**
	MEDIUM ENTERPRISES				
4.	**Total of Medium Enterprises**		**Accounts**	**30**	**31**
			Amount	**1810.81**	**1967.43**
a.	Manufacturing Sector		Accounts	03	03
			Amount	1142.68	1115.35
b.	Service Sector		Accounts	27	28
			Amount	668.13	852.08
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			**Accounts**	**506**	**574**
			Amount	**18269.73**	**21721.22**
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation:60%)	**54.62%**	**55.69%**
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	**23.27%**	**24.37%**

<u>COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSME)</u>

<u>(Position as on 31.03.2017)</u>

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
59	5998	241	10049	300	16047	21	1643	73	3308	94	4951

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **मार्च, 2017** मे 55.69 %है।
- झारखण्ड राज्य मे, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 3 लाख (लगभग) MSE ऋण खातें हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं, परंतु इनमे से केवल 94 हज़ार (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 31.33 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |
- कमोबेश सभी बैंकों का CGTMSE कवरेज प्रतिशत काफी कम है परंतू खास कर कुछ निजी बैंकों का CGTMSE कवरेज का प्रतिशत बिलकुल नगण्य है | अतः इन बैंकों एवं अन्य सभी दूसरे बैंकों से यह आग्रह है कि वे अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE कवरेज लेने का प्रयास करें | Prevailing guidelines के अनुसार भी CC एकाउंट्स में Review के समय CGTMSE कवरेज लिया जा सकता है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 17 (a) में सलंग्न है)

5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | इसके अलावे Ministry of Textiles, GoI के निर्देशानुसार handloom weavers एवं artisans को दिये जाने वाले ऋण भी PMMY योजना के तहत आयेंगे |

ध्यातव्य है कि crop loan, land improvement such as canals, irrigation, wells आदि को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है |

पूर्व में इस योजना के अंतर्गत सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में दिये गए ऋण का guarantee cover, CGTMSE scheme के अंतर्गत किया जा रहा था परंतू वर्तमान व्यवस्था के अनुसार PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.16 से 31.03.17 तक)

(राशि करोड़ में)

शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL SANCTION		TOTAL DISBURSEMENT	
NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
325090	686.52	27227	587.38	5283	380.28	357600	1654.17	356219	1573.88

राज्य में MUDRA योजना के तहत दिये गए कुल बजट रु. 2002.88 करोड़ के विरुद्ध सर्वितरण की उपलब्धि 78.58 % है | (रिपोर्ट पृष्ठ सं-18 (a) एवं 18 (b) में सलंग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में राज्य की उपलब्धि 31 मार्च, 2017 तक इस प्रकार है-

SC/ ST Beneficiaries	Loan Amt (Rs in Cr)	Women Beneficiaries	Loan Amt (Rs in Cr)	Total Beneficiaries	Loan Amt (Rs in Cr)
25	**4.54**	**549**	**105.89**	**574**	**110.43**

- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार Stand Up India योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFSIL- Credit Guarantee Fund Scheme for Stand Up India Loans) सुनिश्चित किया गया है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-18 (c) में सलंग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	**As on** 31.03.16	**As on** 31.03.17				**Total As on** 31.03.17	**GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN**	**DISBURES EMENT MADE DURING AFY 2016-17**
		Public Sector Bank	**Private Sector Bank**	**RRB**	**Coop. Bank**			
No. of Accounts	60076	63035	333	903	2	64273		11562
Amount (In crore)	2188.17	2523.48	4.93	25.73	0.12	2554.26	366.08	449.29

- उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 16.73 % की वृद्धि हुई है | SLBC पिछले कुछ तिमाहिओं से शिक्षा ऋण में वृद्धि हेतु प्रयासरत है | यध्यपि AFY 2016-17 में कुल 11562 छात्रों को रु. 449.29 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया है, पर इसमें और ज्यादा गति प्रदान करने की आवश्यकता है | उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की शाखा स्तर पर ज्यादा शिक्षा-ऋण संवितरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दें |

- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के द्वारा 54 वीं SLBC बैठक के दौरान उपर्युक्त विषय पर एवं विशेष कर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शिक्षा-ऋण नही दिये जाने पर चिंता व्यक्त किया गया था | RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नही है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है | इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |

- इस अभियान के तहत अब तक का उपलब्धि अलग से संलंग्नक संख्या-19 (a) में दर्शाया गया है | इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति इस प्रकार है:

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की संख्या	3301
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया ऋण	91.45 करोड़

- Tribal Advisory Council में हुए चर्चा के अनुसार एक सहमति बनी थी कि राज्य में सभी ST/SC विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का आवेदन करने के लिए SLBC द्वारा एक पोर्टल बनाया जाय जिस पर इच्छुक विद्यार्थी अपने preference के अनुसार बैंक का नाम देते हुए आवेदन करेंगे, जिसे SLBC द्वारा संबंधित बैंक के Controlling ऑफिस को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उस ऋण की अद्यतन स्थिति की जानकारी उन बैंको द्वारा SLBC को हर महीने के अंत में उपलब्ध करायी जाएगी जिससे ST/SC candidates के लिए दिये जाने वाले शिक्षा ऋण की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके | इससे यह भी विदित हो सकेगा कि बैंको में प्रेषित कितने आवेदन या तो स्वीकृत किये गए या reject किये गए या स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं |

  हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि SLBC द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और SLBC के वेबसाइट पर यह पोर्टल मार्च महीने से functional हो चूका है | इसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़कर इस वेबसाइट का विधिवत उद्घाटन आज दिनांक 12.05.2017 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है | सभी हितधारकों द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि इसकी सूचना सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सके ताकि इस सुविधा का लाभ वो ले सकें | सभी नियंत्रक प्रमुखों से विशेष आग्रह है कि वे अपनी शाखाओं के माध्यम से इसका समुचित प्रचार करें |

5.4- आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

Particulars	Up to 31.03.16	31.03.2017				Total Up to 31.03.17	Y-to-Y INCREASE	Disbursements made in AFY 16-17
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	67459	73592	5262	576	30	79460	12001	13126
राशि (रु करोड़ में)	5328.80	6005.18	517.38	37.90	3.40	6563.86	1235.06	1473.59

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2017 तक स्थिति निम्न है:

(रु .करोड़ में)

31 मार्च, 2016		% Share	31 मार्च, 2017		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
38803.93	5291.94	13.63%	43650.55	5679.66	13.01%

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च 2017 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 March, 2016		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 March, 2017		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
70728.48	11736.87	16.59%	81039.94	11706.69	14.45%

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

31 मार्च, 2017 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

31 March, 2016		31 March, 2017		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI	Net Credit	DRI	
70728.48	38.66	81039.94	51.15	0.07

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2017 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रू करोड़ में.)

31 मार्च, 2016		Percentage In Net Credit	31 मार्च, 2017		Percentage In Net Credit
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
70728.48	13142.01	18.58%	81039.94	13579.96	16.75%

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

31 मार्च 2017 तक झारखण्ड राज्य में सभी बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 17821 SHGs के S/B खाते खोले गए हैं , एवं कुल 15811 खातों का credit linkage किया गया है, जिनमे लगभग रू 95.27 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया है | बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 138857 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 82367 खातो का credit linkage है , जिसकी O/S राशि रू 562.00 करोड़ है | **NABARD से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक झारखंड राज्य के जिलों में NABARD योजना के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है,**

जिलों की संख्या	18
ब्लाकों की संख्या	210
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127
नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या	45787
एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या	41454
एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या	14280

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 मार्च, 2017 तक)

संकेतक Indicators	Status as on March'16	Addition during AFY-16-17	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	80	45	125
No of Villages	3603	3435	7038
Total No of SHGs supported by SRLM	27493	52631	80124
Total families supported by SRLM	347725	653825	1001550
No of SHG receiving R.F	19580	14575	34155
Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs)	2937	2186	5123
No of SHG receiving CIF	15728	9996	25724
Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs)	9547	5321	14869
No. of SHG credit linked with Banks	8654	11582	20236
Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs)	4327	6717	11044

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए JSLPS के द्वारा प्रस्तुत SHG के budget पर दिनांक 04.05.2017 को SHG पर SLBC sub-committee की हुई बैठक में विस्तृत चर्चा की गई और सभी सदस्यों की सहमति के अनुसार पुनः जिसे दिनांक 05.05.2017 को ACP पर SLBC sub-committee की हुई बैठक में अनुमोदन करा कर सभी बैंकों एवं LDMs को उपलब्ध करा दी गई है |
  (SHG का बैंकवार एवं जिलावार budget पृष्ठ संख्या-23 (a) एवं 23 (b) में दिया गया है |)

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	**12.05.2017**
बैठक की संख्या	**59**

वित्तीय समावेशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. **BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति**

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3560	618	**Nil**	3301	3708

कई बैंकों ने अपने यहाँ पूर्व में तैनात BC को या नये BC का appointment कर वैसे SSA में नियुक्त किया है जो पूर्व में बैंकों द्वारा covered थे परंतू उन्हें अभी तक micro ATMs नहीं दी गई है | अतः वैसे बैंको से आग्रह है कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाय |

B. **PMJDY के तहत 31.03.2017 तक खोले गए BSBD (Basic Savings Bank Deposit) खातों की स्थिति**

31.03.2017 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
7240742	2521559	9762301	7090438	8404976	5305794	5874601	4095267

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

यद्यपि पीएमजेडीवाइ योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल **7090438** रुपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रुपे कार्ड में से केवल **5874601** कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी अब तक केवल **4095267** खातों में रुपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरुरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-24 (a)-24 (e) सलंग्न है)

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबधित बैंकों से प्राप्त आंकडा पृष्ठ संख्या-24 (f) में दर्शाया गया है |

प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किया गया, बिभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक: 31.03.2017 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है

PMJJBY		PMSBY		APY	
Total Enrolment	Premium Received (Rs. in Lacs)	Total Enrolments	Premium Received (Rs. in Lacs)	Total Enrolments	Premium Received (Rs. in Lacs)
506603	1637.39	2046037	252.36	85033	2860.32

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-25 (a)-25 (b) सलंग्न है)

<u>वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश</u>

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्यतन निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य है | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया एवं पाया गया कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें सूचित किया गया |
- 55 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था की 31 गाँवों में 30 जून तक एवं शेष 106 गाँवों में 31.03.2017 तक बैंक की सभी शाखायें खोल ली जाएगी परंतू मार्च 2017 तक सिर्फ 30 गाँवों में ही बैंकों द्वारा शाखा खोला गया है |

(वर्तमान वस्तुस्थिति पृष्ठ संख्या- 25 (c) में संलग्न है)

बैंक खातों में आधार संख्या Seeding

- आधार अधिनियम का लागु होने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को यह दिशानिर्देश प्राप्त हुई की, आने वाले दिनों में सभी तरह के सरकारी भुगतान, जैसे की सरकारी अनुदान राशि, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी इत्यादि AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM (AEPS) के जरिये ही किया जाएगा | इस दिशानिर्देश के उपरांत झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के द्वारा आधार seeding को प्राथमिकता दी जा रही है, एवं सभी LDM के पास विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा लाभुकों के आधार संख्या से संवंधित BULK DATA उपलब्ध कराया जा रहा है, इस DATA को बैंक वार छांट कर LDM द्वारा जिला के सभी बैंकों के पास आधार सीडिंग के लिए भेजा जा रहा है |

- राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यथा-MGNERGA, NSAP, Scholarship इत्यादि के तहत चलाये जा रहे आधार सीडिंग के काम में संतोषजनक प्रगति हुई है और सभी बैंकों द्वारा लगभग 85% खातों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी

कर ली गई है | राज्य सरकार द्वार इस कार्य के लिए साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है और सभी संबंधित अधिकारीयों एवं बैंको के साथ Video Conferencing के जरिये इस कार्य को अबिलम्ब पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है |

{27.04.2017 तक की प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ संख्या-26 (a), 26 (b) एवं 26 (c)}

- DFS के नये दिश निर्देशों के अनुसार दिनांक 30.04.2017 तक राज्य के 90% operative SB accounts में आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी, परंतू अभी तक इसमें हुई उपलब्धि संतोषप्रद नहीं है | (दिनांक 21.04.2017 का प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न, पृष्ठ संख्या-26(d))

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	12.05.2017
बैठक सं	59

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 31 मार्च, 2017 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.03.16	31.12.16	31.03.17	Y-to-Y Growth	% Growth
Advances	70728.48	78827.49	81039.94	10311.46	14.57 %
Gross NPA	4597.98	4642.51	4523.09	(-)74.89	
Provision			1797.99		
Net N.P.A			2725.10		
Percentage of Gross NPA	6.50 %	5.89 %	5.58 %		
percentage of Net NPA			3.36 %		

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है | हांलाकि इस वर्ष NPA में कमी आयी है, परंतू फिर भी रु 4523.09 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 5.58 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है |

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 31 मार्च 2017 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

status as on 31.03.2016		Cases Filed during last Qrtr.		Cases dispoed during last Qrtr.		status as on 31.03.2017	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
113148	443.61	3626	29.94	1294	15.89	99207	387.32

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2017 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Status as of 31.03.16		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 31.03.17	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
2262	820.02	286	101.07	72	10.57	2408	1402.27

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 31 मार्च 2017 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

[राशि करोड़ में]

SARFAESI Act की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी किये गए notices		symbolic possession taken u/s 13 (4)		Physical possession के लिए जिले के संबंधित अधिकारीयों के पास भेजे गए cases		Actual Physical Possession Taken	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
6079	1328.47	2551	620.70	1258	182.91	198	285.84

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	12.05.2017
बैठक सं	59

31.03.2017 को सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 31 मार्च, 2017 बैंकों द्वारा SLBC को दिये गए आंकड़ों के अनुसार PMEGP आवेदनों की समग्र स्थिति निम्नवत है-

(राशि करोड़ में)

Target	Applications received	Applications sanctioned		Applications disbursed		Rejected	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
2083	5166	1475	76.34	1295	39.40	1847	1844

- पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है | प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है | SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Margin Money Disbursed		Rejected		Pending	
NO	MM Involved	NO	MM Involved	NO	MM	NO	MM	NO	MM
6246	145.29	1282	26.48	843	17.42	3867	89.14	1097	25.96

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-29 (a) पर दर्शायी गई है)

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	12.05.2017
बैठक संख्या	59

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of 31.03.2017)

झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया - 11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 8 जिले
इलाहाबाद बैंक - 3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक - 2 जिले
कुल 24 जिले

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित) 1 जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग : 25 केन्द्रों में
- आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है :
  किराए के परिसर 7 केन्द्रों में
  सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 16 केन्द्रों में
  स्वयं के परिसर में RSETI (बोकारो एवं देवघर) 2 केंद्र में
- भूमि आवंटित 25 केन्द्रों में
- भूमि स्थानांतरित- 25
- निदेशकों का प्रशिक्षण:
  निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त किया 24 निदेशक
  निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त नही किया - 1 निदेशक (गढ़वा)

AFY 16-17 का वार्षिक लक्ष्य : प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 18690
उपलब्धि: प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 19605

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,
भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण - 7
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 14
भवन निर्माण कार्य (प्रारंभ होना बाकी) - 4

(State Director, RSETI से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-30 (a) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2015-16 के दौरान		AFY 2016-17 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षार्थी	Credit Linked
20179	**1530**	19605	2855

नोट :

51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से, उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजे जाएँगे एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार, केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेंगे | परंतू उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि संतोषजनक नही है | विभिन्न बैंकों में एवं जिलों में credit linkage के लिए pending पड़े आवेदनों की सूची अलग से उपलब्ध करायी गई है | सभी LDMs एवं संबंधित बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि इसका निष्पादन यथाशीघ्र करवायें |

(बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ सं-31 (a) एवं 31 (b) में संलग्न है)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन **(जिला स्तर पर)**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	**15**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर,पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 15 केन्द्र
वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है |

<u>जनवरी-मार्च, 2017 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर</u>

दिसम्बर तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	**1246**
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	**2564**
कुल	**3810**

इस सम्बन्ध में अब तक की हुई उपलब्धि का ब्यौरा पृष्ठ सं-32 (a) एवं 32 (b) में संलग्न है |

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	12.05.2017
बैठक संख्या	59

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1)प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2)प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2)नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	06.01.2017
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव	05.05.2017

			6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन	
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक-एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	**08.02.2017**
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप- समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9)यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को	**05.05.2017**

				सक्षम करने का विकास	
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)	**05.05.2017**
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	**02.02.2015**
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	03.03.2017 को **RBI Empowered Com**mittee **on MSME** की 33वीं बैठक बुलायी गई थी।
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	**09.11.2016**
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी.	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**04.05.2017**

			9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड		
10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	**04.05.2017**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड

कार्यसूची सं.	**11**
बैठक की तिथि	**12.05.2017**
बैठक सं.	**59**

विविध कार्यसूची

1. RBI के दिनांक 17.03.2017 के परिपत्र संख्या FIDD.MSME & NFS.BC.No.21/06.02.31/2015-16 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) MSME खातों में Revival & Rehabilitaion framework को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया था | परंतू कुछ बैंकों में MSME के पुनर्जीवन एवं पुनर्वास (Revival & Rehabilitaion) के लिए उक्त परिपत्र में परिकल्पित समिति स्थापित करना बाकी है या समिति स्थापित है परंतू सक्रिय नहीं है अर्थात कोई बैठक नहीं हुई है | RBI के इस परिपत्र के अलोक में सभी बैंको द्वारा यथाशीघ्र एवं प्रभावी रूप से कार्य किया जाना है | **(प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)**

2. बार –बार मौखिक एवं लिखित आग्रह और अग्रिम में निश्चित समय सीमा की सूचना दिये जाने के बावजूद कई बैंकों द्वारा SLBC को स्पष्ट और सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं जिससे data compilation का कार्य काफी कठिन हो जाता है और इसमें अनावश्यक रूप से समय और श्रम की बर्बादी होती है | SLBC द्वारा संबंधित अधिकारीयों को data सही समय पर उपलब्ध करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है | हम सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह करते हैं कि SLBC data के सम्प्रेषण के लिए वे अपने यहाँ एक नोडल पदाधिकारी को नामित करें और SLBC के द्वारा मांगे जाने वाले data या रिपोर्ट्स को सही समय पर और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें | **(प्रस्तावक: SLBC)**

3. DFS, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षा ऋण के लिए Vidya Lakshmi Portal (VLP) से संबंधित कुछ दिशा निर्देश सभी बैंको को दिये गए हैं, जिनका अनुपालन बैंकों को सुनिश्चित करना है | इनमे विद्यार्थियों द्वारा submit किये जाने वाले सभी physical application को sanction के उपरांत इस पोर्टल पर upload किया जाना, दिनांक 01 मई 2017 से इसके लिए awareness camp किया जाना, शिक्षण संस्थाओं के HODs से मिलकर seminar conduct करवाना, सभी बैंको द्वारा VLP से संबंधित banner display करना, शाखा प्रबंधकों को sensitize करना इत्यादि शामिल है | बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि इसके लिए समुचित दिशा निर्देश अपनी शाखाओं को दें |
(प्रस्तावक: DFS)

4. RBI के द्वारा दिनांक 05.06.2017 से 09.06.2017 तक पूरे देश में financial literacy week मनाया जाना प्रस्तावित है जिसमे KYC, Credit Discipline, Grievance Redressal, Business Correspondents और digital transaction से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक किया जायेगा | RBI द्वारा posters/banners शाखाओं को दिये जाने का प्रावधान है, जिसे बैंकों द्वारा properly display किया जाना है और साथ ही बैंकों तथा FLCs को विशेष कैम्प का आयोजन करना है | (RBI master circular-FIDD.FLC.BC.No.27/12.01.018/2016-17 dated 13.04.2017)
(प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)

5. राज्य में Deendayal Antyodaya Yojna-National Urban Livelihood Mission के अंतर्गत हुई उपलब्धि संतोषजनक नहीं है | इस scheme के तीनो components यानि Self Employment Programme-individual, group और SHG तथा PMAY के अंदर हुई प्रगति प्रतिवेदन (Urban Development & Housing Department. GoJ द्वारा उपलब्ध करायी गई) पृष्ट सं-39 (a) से 39 (d) पर दर्शायी गई है | अतः सभी बैंकों द्वारा इस के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है |
(प्रस्तावक: Urban Development & Housing Department. GoJ

कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	12.05.2017
बैठक सं	59

Cashless/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा cashless economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य में इस अभियान को गति देने के लिए "CASHLESS JHARKHAND" अभियान की शुरुआत नगरी प्रखंड मुख्यालय से दिनांक 02.12.2016 को की गई | इसके तहत राज्य में cashless transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुडे विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है | इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है | राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे है | इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 19.04.2017 तक राज्य में कुल 15093 POS machines का installation कराया जा चूका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था | यद्दिप यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतू इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है |

{प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ सं-40 (a)}

कार्यसूची सं.	13
बैठक की तिथि	12.05.2017
बैठक सं	59

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखण्ड